न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 274/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. लिछमणाराम पुत्र दमाराम 2. श्रीमती धूडीदेवी पत्नी लिछमणाराम 3. चौलाराम पुत्र पेमाराम 4. कलाराम पुत्र पेमाराम 5. श्रीमती जीयोदेवी पत्नी मोबताराम 6. श्रीमती तगीदेवी पत्नी केसाराम 7. सताराम पुत्र केसाराम 8. श्रीमती इमियोंदेवी पत्नी जेठाराम 9. सताराम पुत्र जेठाराम 10. पुराराम पुत्र जेठाराम 11. उदाराम पुत्र खेताराम जातियान–जाट निवासीगण–नेहरों की नाडी तहसील धनाउ, जिला बाडमेर।		1. बांकाराम के कायम मुकाम– 1.1 गोगाराम पुत्र बांकाराम 1.2 श्रीमती जीयोंदेवी पत्नी बांकाराम 2. पेमा पुत्र गोरधन राम जातियान जाट निवासीगण–भीलों का तला, तहसील धनाउ, जिला बाडमेर। 3. चिमाराम पुत्र सुखाराम 4. मगनाराम पुत्र सुखाराम 5. ठाकराराम पुत्र सुखाराम 6. ईशराराम पुत्र सुखाराम 7. रामाराम पुत्र गोमाराम 8. रेखाराम पुत्र गोमाराम 9. गेनाराम पुत्र गोमाराम 10. श्रीमती जमना पत्नी गोमाराम 11. कानाराम पुत्र मोटाराम के कायम मुकाम–– 1. सांगाराम पुत्र कानाराम 2. थानाराम पुत्र कानाराम 12. फताराम पुत्र पदमाराम 13. भैराराम पुत्र पदमाराम 14. खेताराम पुत्र दुर्गाराम के का.मु. 1. जवाराराम पुत्र खेताराम 15. वनाराम पुत्र दुर्गाराम 16. हुकमाराम पुत्र दुर्गाराम 17. गोगाराम पुत्र चेतनराम 18. चम्पाराम पुत्र चेतनराम 19. पूराराम पुत्र चेतनराम जातियान जाट निवासीगण–भीलों का तला, तहसील धनाउ, जिला बाडमेर। 20. खेताराम पुत्र नेनाराम 21. ईशराराम पुत्र नेनाराम 22. रणजीताराम पुत्र पदमाराम 23. तुलछाराम पुत्र पदमाराम 24. लूणाराम पुत्र पदमाराम 25. मेराजराम पुत्र पूनमाराम 26. भंवराराम पुत्र पूनमाराम जातियान–जाट निवासीगण–भीलां का तला, तहसील धनाउ, जिला बाडमेर। 27. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार धनाउ, जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 29.04.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौहटन जो राजस्व आवेदन संख्या 67/2018 अनवान बांका के का0मु0 बनाम चिमाराम वगैराह में पारित किया गया !

उपस्थितिः–

1– श्री रेखाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री लादूराम पूनिया अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1/1,1/2, 2 की ओर से।

3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 27 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 27 फरवरी, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया कि खेत खसरा संख्या 1023 रकबा 00.04 बीघा, ख0सं0 1024 रकबा 88.04 बीघा ग्राम भीलों का तला व नेहरों की नाडी के ख0सं0 695 रकबा 84.02 बीघा, ख0सं0 1022 रकबा 03.01 बीघा भूमि आई हुई है। उपरोक्त खसरा के सेढा से माठ आदि कणे बिखर गये होने के कारण नेखमबन्दी करवाई जाकर पक्की माठ या सीमाचिन्ह अंकित नहीं होने के कारण पडौसी आपस में कणा–सेढा बरसात के समय तोड देते है अतः वादग्रस्त भूमि की नेखमबन्दी की जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को पक्षकार बनाये बिना ही अन्य प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर बिना तामीली के एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए दिनांक 29.04.2022 को आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्टस को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी एकपक्षीय पारित आदेश की आड में रेस्पो0 संख्या एक व दो अपीलान्टस की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे है। तथा दिनांक 26.5.2022 को पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक मौके पर नेखमबन्दी की पुष्टि करवाने बाबत आये तब अपीलान्टगण को पता चला कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने गलत तरीके से एकपक्षीय आदेश पारित करवा लिया तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई जो एकपक्षीय होने एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने व विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अतः अपीलान्टस के द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 26.5.2022 से होने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है अतः अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावें।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की बिना जॉच करवाये ही सीधा नेखमबन्दी का आदेश पारित किया है। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में खेत की माठ व सेढा को गलत व मनगढत बताकर पेश किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राज0 सरकार के परिपत्र कमांक प.5 (21) राजस्व/439/36 दिनांक 4.9.1982 के द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत अविदादित मामले में पैमाइश व नेखमबन्दी सम्बन्धी कार्य ग्राम पंचायत को करवाने का आदेश दिया गया है तथा पैमाइश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत को निस्तारण के लिये भेजा जाना आवश्यक है और ग्राम पंचायत 45 दिन के अन्दर निस्तारण नहीं करने पर नेखमबन्दी हेतु आवेदन पेश किया जा सकता है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व रेवेन्यू बोर्ड द्वारा

अवसर दिये बिना नोटिस जारी किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.04.2022 को निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 सं. 01 व 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू र जस्व अधिनियम के तहत पेश करते हुए निवेदन किया कि खेत खसरा संख्या 1023 रकबा 00.04 बीघा, ख0सं0 1024 रकबा 88.04 बीघा ग्राम भीलों का तला व नेहरों की नाडी के ख0सं0 695 रकबा 84.02 बीघा, ख0सं0 1022 रकबा 03.01 बीघा भूमि आई हुई है। उपरोक्त खसरान के सेढासेढ ही अप्रार्थीगण के खेत खसरान आये हुए है। इनके बीच कोई पुरानी कच्ची या पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं अंकित नहीं होने से अप्रार्थीगण बरसात होने पर बरसात के समय तोड देते है जिससे भारी विवाद बना रहता है जिसका हल निकाले जाने हेतु वादग्रस्त भूमि की नेखमबन्दी को जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया, जिनके द्वारा नोटिस तामील किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9.9.2019 को आवेदन में वर्णित भूमि की पैमाइश व मौका रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 29.4.2022 को पेश हुई। जिसका अवलोकन करने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि बाबत दोनां पक्षों के रूबरू/उपस्थिति में किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दू को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी करने का आदेश पारित किया गया है जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 सं. 01 व 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार धनाउ की ओर से रेस्पो0 संख्या एक व दो के उक्त खसरान भूमि की मौके पर पैमाइश की जाकर पक्के नेखम स्थापित किये जा चुके है तथा मौका फर्द व मौका नक्शा भी दिनांक 24.05.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्ययालय के द्वारा दिनांक 03.06.2022 को जारी आदेश के तहत की जा चुकी है। ऐसे में अपीलान्ट की अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं हो सकती है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

रेस्पो0 सं. 01 व 2 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्टस की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत हुई मौका फर्द/पैमाइश को गलत तैयार करने सम्बन्धी कोई प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि रिपोर्ट गलत रूप से जारी हुई हो। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक व दो के खसरान भूमि के पडौसी काश्तकारान को आवश्यक पक्षकार संस्थित किया गया था और उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी किये गये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वो उपस्थित नहीं हुए। अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत अपील में झूठे व मनगढत तथ्य अंकित किये गये है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है।

रेस्पो0 संख्या 27 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पो0 संख्या एक व दो की

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि

खातेदारी/काश्त वाली भूमि की नेखमबन्दी करने का जो आदेश दिया है जो विधिवत प्रकिया अपनाते हुए पारित किया गया जो अनुकूल व न्यायोचित है जिसे बहाल रखा जावे एवं अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि प्रकरण में हितबद्ध काश्तकारान को वक्त पैमाइश व पत्थरगढी विधिवत रूप से सूचित नहीं किए गए व पड़ौसी हितबद्ध काश्तकारान की उपस्थिति में पैमाइश व पत्थरगढी का अभाव पाया गया है। लिहाजा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, चौहटन को निर्देशित किया जाता है कि पैमाइश हेतु टीम का गठन किया जाकर हितबद्ध काश्तकारान/पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः नियमानुसार पैमाइश/सीमाज्ञान की कार्यवाही करवाई जावे। तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय आज दिनांक 27 फरवरी, 2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर